

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

हसीना बानु पति अल्लाहनुर, जाति- सिलावट मुसलमान, निवासी- काम्बेश्वर कॉलोनी, बडगांव, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 20/2020

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 25 फरवरी, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 138/2020 में पारित निर्णय दिनांक 29.6.2020 बाबत ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 230/31 रकबा 0.01 बीघा किस्म खाल खदर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम सुनवाई तिथि 29.6.2020 को उपस्थित हुआ और जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को जवाब व पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किये बिना ही प्रथम सुनवाई दिनांक 29.6.2020 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी को अपने पिता के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर अपीलार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें परिवार सहित निवास कर रहा है। इसके अलावा अपीलार्थी के पास आवास हेतु अन्य कोई आवासीय भूमि नहीं है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा

.....पेज दो पर



बति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)



निर्देशों व परिपत्रों के अनुसार अपीलार्थी अपने पुराने कब्जे व आवास के आधार पर विवादित भूमि का अपने पक्ष में नियमन कराने का अधिकारी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने भी राज्य सरकार को यह निर्देश दिये हैं कि यदि किसी व्यक्ति का राजकीय भूमि पर पक्का आवासीय मकान बना हुआ है और उसके पास यदि आवास हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है तो उस व्यक्ति को पुर्नवास हेतु आवासीय भूमि उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा संवत 2076 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 230/31 रकबा 0.01 बीघा किस्म खाल खदर भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रथम सुनवाई तिथि 29.6.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित हुआ और उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण बेदखली के बिन्दु पर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित आदेश दिनांक 29.6.2020 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बेदखली के बिन्दु पर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।



(गितेश श्री मालवीया)  
25/2/2021  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोही